प्रेस नोट, जालौन पुलिस
दिनांक – 15.10.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम जालौन एवं कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का महज 24 घंटे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की गयी ।

दिनांक 14.10.2024 को वादी मुकुट सिंह पुत्र हरदास नि0 ग्राम लमसार कोतवाली कालपी जनपद जालौन के द्वारा थाना कालपी क्षेत्रान्तर्गत जोहल्हपुर- हमीरपुर रोड के किनारे घटोई बाबा मन्दिर के पास एक शव मिलने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी जिसके आधार पर कोतवाली कालपी में मु0अ0सं0 222/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

विवेचना के दौरान कोतवाली कालपी पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्त प्रशान्त उर्फ गुल्लन पुत्र अवधेश सिंह उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम गरेंही थाना कदौरा जनपद जालौन को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14.10.2024 को अभियुक्त प्रशान्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

पूछताछ में अभियुक्त प्रशान्त उर्फ गुल्लन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.10.2024 को दोपहर को मैं और मेरा नौकर कृष्णा मिश्रा उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र गोपाल मिश्रा नि0 मुम्बई हाल निवास ग्राम गरेंही थाना कदौरा जनपद जालौन काफी नशा कर लिया था, नशे की हालत में मेरी और कृष्णा की लड़ाई हो गयी थी । कृष्णा ने मेरे मुंह पर दो-तीन घूंसे मार दिये थे, जिससे मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने कृष्णा को जोर से दीवार की तरफ धक्का दे दिया उसके सिर पर पीछे की तरफ चोट लगी और वह कमरे में गिर गया । मैंने देखा तो कृष्णा की साँसे बन्द हो गयी थी । अंधेरा होने के बाद मैं अपने घर के पतले कम्बल पर कृष्णा मिश्रा के शव को रखकर उसी में लपेटकर अपनी चारपाई की रस्सी को निकालकर अपनी मोटर से बांधकर लमसर के आगे नाले के पास ले गया और लाश को छिपाने के लिये नाले में फेंका था अंधेरा होने के कारण मुझे यह नहीं पता चला कि लाश नाले में गयी या नहीं। लाश को फेंककर मैं वहां से फरार हो गया ।

नाम पता अभियुक्त-

1. अभियुक्त प्रशान्त उर्फ गुल्लन उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र अवधेश सिंह निवासी ग्राम गरेंही थाना कदौरा जनपद जालौन ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 2366/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 1153/2016 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली उरई जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 144/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0 55/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा जनपद जालौन
5. मु0अ0सं0 98/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली उरई जनपद जालौन

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 कोतवाली कालपी मय पुलिस टीम
2. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम ।